

**कार्यालय,
राजिब, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
बलार प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

संख्यांक दिनांक: 15-8-2020

-कार्यालय धारण-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय, उड़ीसा इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2010 संवत्क से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अथवा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2010 संवत्क की अध्यापक से परिषद कार्यपालना से वेतन सल्लम हुई। वेतन से समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पदावकाश/अन्य अन्ततः पुद्धि सहित अन्य स्वी पर विचार करने हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को सत्र-2 में दिल्लीन इन इवीठ कार्यालय संघालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नानु निर्णय लिया गया -

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इवीठ कार्यालय संघालित करने वाली अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 2010 संवत्क से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए०आई०पी०टी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु पदावकाश अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए०आई०पी०टी०आई० द्वारा प्रदान किये जाने अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम को सम्बद्ध अखिल भारतीय कार्यालय/अन्य अन्ततः के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए०आई०पी०टी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2010 संवत्क द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदावकाश एवं वेतन अंकित प्रयोग अन्ततः हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	वर्तमान का नाम	पदावकाश का नाम	ए०आई०पी०टी०आई०/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रयोग अन्ततः	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रयोग अन्ततः
1	राज्यीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, बलार प्रदेश	राज्यीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, बलार प्रदेश	राज्यीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, बलार प्रदेश	60	60
			इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	60	60
			इलेक्ट्रिकल एण्ड	60	60
			इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	60	60
			मेकैनिक्स इंजीनियरिंग	60	60
			मेकैनिक्स इंजीनियरिंग	60	60
			कंप्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०पी०टी०आई०/पी०पी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था बलार प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एफ० 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, रिगिस्टर विनियमवली-2010 तथा अन्य विहित विधियों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मुख्य तीन वषीय इवीठ पदावकाश हेतु सत्र 20,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वषीय कार्यवाही पदावकाश हेतु 20-22,500.00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र को वरीय पदावकाशों (दो वषीय कार्यवाही पदावकाश के अतिरिक्त) हेतु 20-22,500.00 प्रतिवर्ष मुख्य ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से मुख्य के सम्बन्ध में समय-समय पर खसल द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रचयी होंगे, और अनुसूचित


 Ananta Devi Polytechnic College
 Nayaband, Gansabacharou
 Jaipur (U.P.)



- कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु नीचे का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो नीचे की कार्यवाही करे जाना होगी।
- ✓ संस्था को (2020) प्राथमिक शिक्षा समितियाँ तथा उच्च समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध शिक्षा (उच्च) विनियमावली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित उत्तरी जोड़ी प्रवेश दिया जायेगा। सीटों को बिना छूट जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्यात साक्षात्कार के अनुसार निर्देशित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था को (2020) प्राथमिक शिक्षा परिषद / प्राथमिक शिक्षा परिषद / प्राथमिक शिक्षा परिषद / प्राथमिक शिक्षा परिषद / प्राथमिक शिक्षा परिषद से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि / नियमों / अधिनियमों / साक्षात्कारों / निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा (उच्च), संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, (2020) तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, (2020) द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, अधिसूचना, निर्देशों का पालन करने के लिये बंधन होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यवाही कार्यक्रम की संस्थाएं तब ही सी.सी.आई. एवं दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं जो इस संस्था में समस्त आवश्यकताएं संस्था का होना और स्थिति कम से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशात्मक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई चर्चा बाधक किया जायेगा है तथा दायर बाद की संस्था में श. न्यायानुसार द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधी संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यवाही कार्यक्रम संयोजित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु आवश्यकताएं प्राप्त होने की पूर्व में (सी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर फील्ड परामर्शकों उपलब्ध कराना होगा) अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यवाही) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर शीर्ष प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम अथवा नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, सत्र-संख्या, कार्यक्रम, सत्र बिना जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अभियान हेतु समस्त आवश्यकताएं उपलब्ध कराने की तथा वेबिंग होवने की सम्बन्ध में समस्त आवश्यकताएं सुनिश्चित करनी होंगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संयोजित कार्यक्रम को अनाये जाने हेतु निर्देशात्मक समिति के संस्था जन्मदा करायें गये अनिर्देश, बुकिंग-मार्ग, धर्मोपर, उपलब्धता हेतु आदि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण के संवादन में प्रयोग किया जाये है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संस्था की सम्बद्धता सहायक विनियमों की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सा. आर.के. सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1072-3141

तारीख- 15-09-2020

प्राथमिक- (आ.आ.के. सिंह) निर्देशक, निर्देशक, सी.सी.आई. विभाग, जौनपुर।

(सा. आर.के. सिंह)
सचिव


Nirmala Devi Polytechnic College
Mayasand, Gaurabadshahar
Jounpur (U.P.)

प्रशासन,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/09/2021

:-कार्यालय भाष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/09/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संयोज हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।


सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4831-NIRMALA DEVI POLYTECHNIC COLLEGE NAINSAND, JAUNPUR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेशी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-


 Principal
 Nirmala Devi Polytechnic College
 Nainsand, Gaurabachhour
 Jaunpur (U.P.)

- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक लक्ष दो सौ सौ पाठ्यक्रमों (दो सौ सौ फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्रविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
 - ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अस्तित्व छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
 - ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
 - ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनये गये विनियमों, अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रविधिक शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई कदम टापर किया जात है तथा टापर कदम के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किये जात है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा तत्तु प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
 - ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
 - ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्करण हेतु उपयुक्त कक्षाकरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 - ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण वगैरह का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
 - ✓ संस्था के स्थतीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
 - ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



Principal
Vimala Devi Polytechnic College
Nayaband, Gaurtambahar
Jalpaiguri (U.P.)

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

प्रतिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, NIRMALA DEVI POLYTECHNIC COLLEGE NAINSAND, JAUNPUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



Nirmala Devi Polytechnic College
Nainsand, Gairatbadhihpur
Jaunpur (J.P.)

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय ज्ञापन

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 10/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संघारित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करती हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।


सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4831-NIRMALA DEVI POLYTECHNIC COLLEGE

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	90	90
3	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 199: विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2015 तथा समय-समय पर निर्गत शासनव्यवहारीयों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षी


 Nirmala Devi Polytechnic College
 Hazratganj, Gaurabhatshapur
 Jaipur (I.P.)

फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम में अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, जो तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस व पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आर्सेटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा उपाय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाय तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाय द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये साध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आर्सेटित कारउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कारउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना साध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा उपकरण, प्राप्त किया जाने वाले शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आदेशपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संबन्धित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक त्वरणीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जायेगी।




(एफ०आर० साग)

सचिव

फ़ोन- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-


Principal
Haryana Open Polytechnic College
Mayapuri, Gurgaon/Chandigarh
Jalandhar (H.P.)

Rohan

(पुस्तकालय) शाखा

सचिव


Nirmala Devi Polytechnic College
Hoyasand, Gauribamhaha
Jalpaiguri (I.P.)